न्यायालय – जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल म.प्र.

–: सूचना :–

आज दिनांक 20/05/2020 को जरिये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई हेतु नियत प्रकरणों की सूची

–:: दाण्डिक प्रकरण ::–

क.	प्रकरण कमांक	पक्षकारगण	स्टेज	अधिवक्ता का नाम		रिमार्क
1		Nill				
2						

–:: सिविल प्रकरण ::–

क.	प्रकरण कमांक	पक्षकारगण	स्टेज	अधिवक्ता का नाम		रिमार्क
01.	RCA No 46/2019	वरिष्ठ प्रबंधक विरूद्ध देवराव	अंतिम तर्क	श्री अवध हजारे	1. श्री अनुराग गौतम 2. श्री एस.सी. जैन	

आदेशानुसार

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल

Application Pending / Disposed off (Dated 19 05 2020)

Sr. No.	F.I.R. No./Case No.	Date of Filling	Name of Parties	Type of Application	Application Status
1	B.A. 239/20	18/05/20	Motu @ Rakesh Vs. State	Bail	[illegible] Allowed
2	B.A. 241/20	18/05/20	Ravi Vs. State	Bail	[illegible]
3	B.A. 240 /20	18/05/20	[illegible] Vs. State	[illegible]	[illegible]
4	B.A. 247/20	19/05/20	Pawan & Others Vs. State	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	19/05/20	Amaliya Vs. State	[illegible]	[illegible]

(Rakesh Mohan [illegible])

Special Judge, (SC/ST (PA) Act) [illegible]

न्यायालय : प्रथम अपर सत्र न्याया. बैतूल के न्याया. के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश बैतूल(म.प्र.)

–:: दिनांक–20.05.2020 को वी.सी. के माध्यम से अंतिम तर्क हेतु नियत प्रकरणों की सूची ::–

क.	प्रकरण क.	पक्षकार का नाम	अपीलार्थी के अधिवक्ता	गैर अपीलार्थी के अधिवक्ता
1.	आर.सी.ए. 82/18	सुखीबाई–वि.–कुबेरसिंह	श्री पी.वागद्रे	श्री नौसाद खान
2.	आर.सी.ए. 18/18	अमरदास–वि.–दीपमाला	श्री खंडेलवाल	श्री उमाशंकर पचोली
3.	सी.आर.ए. 120/17	अनिल वगै. वि. राज्य	श्री हनुमंत काले	अपर लोक अभियोजक
4.	सी.आर.ए. 531/16	मंशाराम वि. राज्य	श्री हीरामन सूर्यवंशी	अपर लोक अभियोजक
5.	सी.आर.ए. 116/16	शासन वि. तरूण	अपर लोक अभियोजक	श्री गुफरान खान

(ए.के. दंदेलिया)
प्रथम अपर सत्र न्याया. बैतूल के
न्याया. के द्वितीय अति.न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.)

न्यायालय :—श्वेता खरे, न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी बैतूल मप्र

क. क्यु/जे एम एफ सी बैतूल दिनांक 19.05.20

प्रति,

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,
बैतूल, जिला बैतूल।

विषय ::— माह मई 2020 में नियत अंतिम तर्क के प्रकरणों की सूची बाबत।

माननीय महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि इस न्यायालय में माह मई 2020 में नियत अंतिम तर्क के प्रकरणों की सूची निम्नानुसार है :—

क.	परिवाद प्र.क.	संस्था.दि.	पक्षकारों के नाम	आगामी पेशी	नस्ती
1	375/17	19.12.17	वहिद खान वि. धर्मेन्द्र	20.05.20	अंतिम तर्क

19.5.20

श्वेता खरे
न्यायिक मजि. प्रथम श्रेणी बैतूल

न्यायालय–द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बैतूल जिला बैतूल(म.प्र.)

:– सूचना :–

दिनांक **20–05–2020** को अंतिम तर्क हेतु वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सुने जाने हेतु प्रकरणों की सूची –

सिविल प्रकरण

क्र.	प्रकरण क्रमांक	पक्षकार	अधिवक्तागण के नाम
1		निरंक	

दांडिक प्रकरण

क्र.	प्रकरण क्रमांक	पक्षकार	अधिवक्तागण के नाम
1	CRA 52/2018	मुकेश विरूद्ध एयरसन एग्रोटेक	1. श्री शिव कापसे 2. श्री अशोक वर्मा

19-5-2020

(अनुज त्यागी)
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बैतूल म0प्र0

न्यायालय :– प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक / /IV-AJ to IASJ/2020 बैतूल, दिनाँक 19 मई, 2020

–:: सूचना ::–

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक / क्यू / 12 जबलपुर, दिनांक 04 मई, 2020 एवं परिपत्र क्रमांक / क्यू / 13 जबलपुर, दिनांक 17 मई, 2020 के अनुपालन में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल के द्वारा जारी विविध आदेश क्रमांक / 64 / दो–12–11 / 2014, बैतूल दिनांक 04.05.2020 एवं विविध आदेश क्रमांक / 73 / दो–12–11 / 2014 बैतूल, दिनांक 18.05.2020 के अनुपालन में **दिनांक 20-05-2020** को व्ही.सी. के माध्यम् से अंतिम तर्क हेतु नियत प्रकरणों की सूची निम्नानुसार है :–

स.क्र.	प्रकरण क्रमांक	पक्षकार का नाम	सिविल / आपराधिक
01.	CRA No. 19/2018	अशोक व अन्य विरूद्ध म.प्र.राज्य	दाण्डिक अपील
02.	R.C.A No. 400053/2016	मंघाबाई विरूद्ध अमरलाल व अन्य	सिविल अपील

Sd.

(राज कुमार गुप्ता)
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल
के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त
न्यायाधीश, बैतूल (म.प्र.)

पृ.क्रमांक / /IV-AJ to IASJ/20 बैतूल, दिनाँक 19 मई, 2020
प्रतिलिपि,

1. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संबंधित अधिवक्तागण / पक्षकारगण / सर्वसाधारण को सूचनार्थ न्यायालय एवं जिला अधिवक्ता संघ के कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पार्थ।
3. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय बैतूल की ओर उक्त सूचना ज़िला न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

19/5/20

(राज कुमार गुप्ता)
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल
के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त
न्यायाधीश, बैतूल (म.प्र.)

न्यायालयः–प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)

क्र...........⁄प्रअजिन्या⁄2020 मुलताई, दिनांक 19.05.2020

–:: परिपत्र ::–

विषयः– लॉकडाऊन अवधि में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लिखा जाता है कि माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क. क्यू⁄11⁄जबलपुर दिनांक 02.05.2020 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क. 63 बैतूल दिनांक 03.05.2020 के पालन में इस न्यायालय में दिनांक 04.05.2020 से दिनांक 15.05.2020 तक नियत समस्त प्रकरणों में आगामी सुनवाई दिनांक दी जाकर उसकी आम सूचना दी जा चुकी है।

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क. क्यू⁄12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020 तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क. 64 दिनांक 04.05.2020 के अनुसार पूर्व में जारी परिपत्र के आलोक में जमानत, सुपुर्दगी, निषेधाज्ञा आदि अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों के साथ–साथ अंतिम निराकरण, आदेश तथा अंतिम तर्क हेतु नियत क्रिमिनल रिविजन एवं सिविल अपील में भी अंतिम सुनवाई की जाना है।

अतः उक्त आदेश के पालन में इस न्यायालय में पूर्व में दिनांक **20.05.2020** को नियत निम्नांकित सिविल एवं दांडिक प्रकरण रिकॉल (Recall) किए जाकर दिनांक 20.05.2020 को प्रातः 11:00 जे से 2:00 बजे के मध्य सुनवाई में लिए जावेंगे।

No.	Case No.	CIS No.	Parties Name	Advocate Name	Contact No.	Remark
1.	58/17	58/17	धारासिंह विरूद्ध इमलसिंह वगै.	1.श्री एम0 एन0 भार्गव अधिवक्ता 2.श्री सी.एस.चंदेल	9425440627 9827527220	
2.	20/19	20/19	साहबलाल विरूद्ध दिलीप वगै.	1.श्री जे0 पी0 पंवार 2.श्री सुनील कुशवाह 3.श्री बलराम सिंह	9406546623 7247667336 9425659355	

				वर्गा अधिवक्ता		
3.	41/18	41/18	हेमंतसिंह विरूद्ध तिलकचंद वगै.	1.श्री अनिल गीद 2.श्री जे0 पी0 पंवार	9425352714 9406544623	

उक्त प्रकरण में सुनवाई हेतु पक्षकारगण की न्यायालय परिसर में उपस्थिति कठोरता से वर्जित की गई है। सम्माननीय अधिवक्तागण से अनुरोध है कि वे अपने–अपने उक्त प्रकरण में अपने निवास या कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतिम तर्क प्रस्तुत करे। यदि वे अपने निवास एवं कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित होकर अपनी–अपनी बारी आने पर अंतिम तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायालय कक्ष में प्रवेश वर्जित है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा शासन प्रशासन के निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जावे। सम्माननीय अधिवक्तागण से अपेक्षित है कि उनके द्वारा उक्त मामलों में अपने लिखित तर्क न्यायालय की ई–मेल आई.डी. **multai@mphc.in** पर ई–मेल करना सुविधाजनक होगा।

दिनांक 19.05.2020 को नियत शेष सभी दीवानी प्रकरण पूर्व सूचना अनुसार दिनांक 24.07.2020 को तथा शेष आपराधिक प्रकरण पूर्व सूचना अनुसार दिनांक 17.06.2020 को उसी प्रकम पर सुनवाई में लिए जावेंगे।

(हरप्रसाद बंशकार)
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश
मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)

न्यायालयः– द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुलताई जिला–बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक /द्वि.अ.जि.न्या./2020 मुलताई दिनांक 19/05/2020

परिपत्र

विषय :– लॉकडाउन अवधि में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध मे।

उपरोक्त विषयांतर्गत लिखा जाता है कि माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक क्यू 13 जबलपुर दिनांक 17.05.2020 अनुसार परिपत्र क्रमांक क्यू 5 दिनांक 25.03.2020, परिपत्र क्रमांक क्यू 6 दिनांक 14.04.2020, परिपत्र क्रमांक क्यू 7 दिनांक 20.04.2020, परिपत्र क्रमांक क्यू 11 दिनांक 02.05.2020 को दिनांक 31.05.2020 तक प्रभावशील किया गया है

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक क्यू 12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020 तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क्रमांक 64 दिनांक 04.05.2020 के अनुसार पूर्व में जारी परिपत्र के आलोक में जमानत, सुपुर्दगी, निषेधाज्ञा आदि अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों के साथ–साथ अंतिम निराकरण, आदेश हेतु नियत प्रकरण तथा अंतिम तर्क हेतु नियत क्रिमिनल रिविजन एवं सिविल अपील में भी अंतिम सुनवाई की जाना है।

अतः दिनांक **20.05.2020** को नियत निम्नांकित सिविल प्रकरण प्रातः 11.00 बजे से 2.00 बजे के मध्य सुनवाई में लिये जावेगें।

क्र	प्रकरण क्र.	सी. आई.एस. नं.	पक्षकार नाम	अधिवक्ता नाम	मोबाईल न.	रिमार्क
1.	R.C S HM	91/18	दिनेश वि. राधिका	1 श्री राजेन्द्र उपाध्याय 2 श्री शैलेन्द्रसिंह ठाकुर	9425658565 9425003581	
2.	R.C.S HM	28/19	सरिता वि. तरूण	1 श्री सी.के. साहू 2 श्री राजेन्द्र उपाध्याय	9424432404 9425658565	

उक्त प्रकरणों में सुनवाई हेतु पक्षकारगण की न्यायालय परिसर में उपस्थिति कठोरता से वर्जित की गई है। सम्माननीय अधिवक्तागण से अनुरोध है कि वे अपने—अपने उक्त प्रकरण में अपने निवास या कार्यालय से विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से अंतिम तर्क प्रस्तुत करें। यदि वे अपने निवास एवं कार्यालय से विडियो कॉन्फ्रेसिंग की सुविधा प्राप्त करने में असमर्थ हो, तो वे न्यायालय परिसर में स्थित विडियो कॉन्फ्रेसिंग कक्ष में उपस्थित होकर अपनी—अपनी बारी आने पर अंतिम तर्क प्रस्तुत कर सकते है। न्यायालय कक्ष में प्रवेश वर्जित है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिग तथा शासन प्रशासन के निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जावे। सम्माननीय अधिवक्तागण से अपेक्षित है कि उनके द्वारा उक्त मामलों में अपने लिखित तर्क न्यायालय की ई—मेल आई—डी multai@mphc.in पर ई—मेल करना सुविधाजनक होगा।

दिनांक 20.05.2020 को नियत आपराधिक प्रकरण दिनांक 18.06.2020 को उसी प्रक्रम में सुनवाई में लिये जावेंगे।

19.5.20

(सुशील कुमार जोशी)
द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मुलताई, बैतूल (म.प्र.)

न्यायालयः— तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुलताई जिला—बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक   /तृ.अ.जि.न्या./2020   मुलताई दिनांक 19/05/2020

परिपत्र

विषय :—   लॉकडाउन अवधि में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लिखा जाता है कि माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक क्यू 11 जबलपुर दिनांक 02.05.2020 तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क्रमांक 63 बैतूल दिनांक 03.05.2020 के पालन में इस न्यायालय में दिनांक 04.05.2020 से दिनांक 18.05.2020 तक नियत समस्त प्रकरणों में आगामी सुनवाई दिनांक की जाकर उसकी आग सूचना दी जा चुकी है।

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक क्यू 12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020 तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क्रमांक 64 दिनांक 04.05.2020 के अनुसार पूर्व में जारी परिपत्र के आलोक में जमानत, सुपुर्दगी, निषेधाज्ञा आदि अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों के साथ—साथ अंतिम निराकरण, आदेश तथा अंतिम तर्क हेतु नियत क्रिमिनल रिविजन एवं सिविल अपील में भी अंतिम सुनवाई की जाना है।

अतः उक्त आदेश के पालन में इस न्यायालय में पूर्व में दिनांक **19.05.2020** को नियत निम्नांकित सिविल एवं दांडिक प्रकरण रिकॉल (**Recall**) किये जाकर दिनांक 20.**05.2020** को प्रातः 11.00 बजे से 2.00 बजे के मध्य सुनवाई में लिये जावेगें।

क्र.	सी.आई.एस. नं.	पक्षकार नाम	अधिवक्ता नाम	मोबाईल न.	रिमार्क
1	CRR-9/20	फिरोज वि. शासन	1. श्री राजेश साबले 2. श्री कैलाश वर्मा	9425440491 9617421271	

उक्त प्रकरणों में सुनवाई हेतु पक्षकारगण की न्यायालय परिसर में उपस्थिति कठोरता से वर्जित की गई है। सम्माननीय अधिवक्तागण से अनुरोध है कि वे अपने—अपने

उक्त प्रकरण में अपने निवास या कार्यालय से विडियो कॉन्फ्रेरिंग के माध्यम से अंतिम तर्क प्रस्तुत करें। यदि वे अपने निवास एवं कार्यालय से विडियो कॉन्फ्रेसिंग की सुविधा प्राप्त करने में असमर्थ हो, तो वे न्यायालय परिसर में स्थित विडियो कॉन्फ्रेरिंग कक्ष में उपस्थित होकर अपनी–अपनी बारी आने पर अंतिम तर्क प्रस्तुत कर सकते है। न्यायालय कक्ष में प्रवेश वर्जित है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिग तथा शासन प्रशासन के निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जावे। सम्माननीय अधिवक्तागण से अपेक्षित है कि उनके द्वारा उक्त मामलों में अपने लिखित तर्क न्यायालय की ई–मेल आई–डी multai@mphc.in पर ई–मेल करना सुविधाजनक होगा।

दिनांक **19.05.2020** को नियत शेष सभी दीवानी प्रकरण ग्रीष्मकालीन अवकाश में लिये गये है जो दिनांक **30.05.2020** में लिये जावेगें, शेष आपराधिक प्रकरण पूर्व सूचना अनुसार दिनांक **16.06.2020** को उसी प्रक्रम पर सुनवाई में लिये जावेंगे।

(कृष्णदास महार)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मुलताई, बैतूल(म.प्र.)

न्यायालय–अनीता खजुरिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल, जिला बैतूल

कमांक– सीजेएम / 20 बैतूल **दिनांक–19.05.2020**

प्रति,

मानननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,
बैतूल

विषयः– दिनांक–20.05.2020 को नियत व्ही.सी.के माध्यम से सुनवाई योग्य प्रकरणों की जानकारी प्रेषित किए जाने बाबत्।

संदर्भः– कार्यालय विविध आदेश कमांक–64 / दो–12–11 / 2014 बैतूल दि.–04.05.20।

माननीय महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत सादर निवेदन है कि इस न्यायालय में लंबित दिनांक–20.05.2020 को नियत दांडिक, विविध कार्यवाही एवं सिविल प्रकरणों मे से व्ही.सी. के माध्यम से सुनवाई योग्य निम्न प्रकरण है–

क	प्रकरण क / अपराध क	थाना	पक्षकार	धारा	अधिवक्ता	रिमार्क
1	194 / 20	गंज	पूरनसिंह	457 दप्रस	श्री अकरम खान	केस डायरी प्रतिक्षार्थ
2		बैतूल	अभय सातपुते	457 दप्रस	श्री संजय चौरसे	केस डायरी प्रतिक्षार्थ
3	315 / 20	सारणी	बलदेव	457 दप्रस	श्री हीरामन सूर्यवंशी	केस डायरी प्रतिक्षार्थ
4	318 / 20	सारणी	सूरज	457 दप्रस	श्री हीरामन सूर्यवंशी	केस डायरी प्रतिक्षार्थ
5	296 / 20	सारणी	मूलसिंगु	457 दप्रस	श्री हीरामन सूर्यवंशी	केस डायरी प्रतिक्षार्थ

19/5/20

(अनीता खजुरिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बैतूल

न्यायालयः– मंजूषा तेकाम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 भैंसदेही, जिला बैतूल म0प्र0

//परिपत्र//

भैंसदेही, दिनांक 19/05/2020

क्र./ /2020

विषयः लॉकडाउन अवधि में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में।

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लिखा जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक क्यू 13 जबलपुर दिनांक 17.05.2020 तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क्रमांक 73 बैतूल दिनांक 18.05.2020 के अनुसार पूर्व में जारी परिपत्र के आलोक में जमानत, सुपुर्दगी, निषेधाज्ञा आदि अत्यावश्यक प्रकति के मामलों के साथ–साथ अंतिम निराकरण, आदेश तथा अंतिम तर्क हेतु नियत क्रिमिनल रिविजन एवं सिविल अपील में भी अंतिम सुनवाई की जाना है।

अतः उक्त आदेश के पालन में इस न्यायालय में कॉज लिस्ट अनुसार अत्यावश्यक प्रकृति के मामले आगामी दिनांक 20.05.2020 को दोपहर 2:00 बजे से 5:00 बजे के मध्य सुनवाई में लिए जावेंगे।

क्र0	प्रकरण क्रमांक	सी0आई0एस0 नं0	पक्षकार नाम	अधिवक्ता नाम	मोबाईल नं0	रिमार्क
1	एम0जे0सी0आर0 5/2018	25/2018	श्रीमति श्रुति विरूद्ध रविकांत	श्री राजेन्द्र बोरबन श्री दीपक फोकसे	9981284520 9425685511	अंतरिम आवेदन पर तर्क

(मंजूषा तेकाम)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1
भैंसदेही, जिला बैतूल

सिविल एवं दांडिक प्रकरणों की कॉज लिस्ट जो कि दिनांक 20.05.2020 के लिये नियत हैं।

कमांक	प्रकरण कमांक	पक्षकार का नाम	अधिवक्ता का नाम	पेशी दिनांक	किस हेतु नियत हैं।
1	एम.जे.सी.आर. 19 / 2017	कंचन विरूद्ध घनश्याम	श्री उमेश जैन श्री बालापुरे	20.05.2020	आवेदन पर तर्क हेतु

विनोद अहिरवार
अति0 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2
भैरादेही जिला बैतूल